

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ 1(39)परि/स्था/2000/43136

जयपुर, दिनांक: 11/9/17

आदेश

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं कार्मिक (क-4/2) की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के नियम 21 के अनुसरण में निम्नांकित सफल अभ्यर्थी को राजस्थान परिवहन सेवा में (जिला परिवहन अधिकारी के पद पर) दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियम के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तो पर नियुक्त किया जाता है। यह तिथि हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आधारभूत पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी :-

क्र. सं.	मेरिट सं०	रोल नं०	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	वर्ग	विशेष विवरण
1.	33	925455	अभय गुदगल	15.11.1986	GE	प्रोविजनल

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है :-

1. उक्त नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील सं. 18272-76/2008 (सिविल अपील सं. 2049-2053/2011) तथा याचिका सं. 140/11 एवं मा० उच्च न्यायालय में याचिका सं. 6744/2008, 11200/2010, याचिका सं. 1862/2013 और मा० उच्च न्यायालय में लम्बित सभी विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। इसके साथ ही मा० उच्च न्यायालय में दायर डी०बी० स्पेशल अपील रिट सं. 334/17 द्वारा श्री भंवरा राम चौधरी व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.17 तथा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 7815, 7825/17 व 8020/17 द्वारा देवेन्द्रपाल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 12.07.17 की अनुपालना में नियुक्ति उक्त आदेश के अधीन रहेगी। इसी प्रकार डी.बी.स्पेशल अपील रिट सं. 1488/16 झाबरमल ग्रहवाल तथा 1410/16 द्वारा लक्ष्मणसिंह बनाम आयोग के प्रकरणों में मा० उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 26.05.17 के विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस०एल०पी० तथा एस०बी०सी०डब्ल्यू० पी० सं. 13952/16 रामूराम बनाम राज्य सहित कुल 07 रिट याचिकाओं/प्रकरणों (यथा एसबीसी डब्ल्यूपी सं. 13952/16, 13473/16, 13930/16, 13953/16, 13994/16, 14398/16 व 15120/16) में मा० न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 30.05.17 के विरुद्ध खण्डपीठ के समक्ष दायर की जाने वाली एस०एल०पी० के निर्णय के अधीन रहेगी। मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट सं. 11200/2010 के अधीन भी उक्त नियुक्ति रहेगी।

2. एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 1463, 4367, 6605, 8446, 1464/2017 द्वारा श्याम प्रताप सिंह चारण, हेमेन्द्र सिंह बारहठ, विनोद कुमार गुप्ता, देवीचन्द ढाका व संजीव कुमार दलाल बनाम राज्य व अन्य (कुल 05 प्रकरण) में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अराजपत्रित कर्मचारी श्रेणी हेतु राज० परिवहन सेवा में 02 पद रिक्त रखे जाने का अन्तरिम आदेश दिनांक

- 03.02.17 पारित किए जाने के उपरान्त माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.17 के द्वारा परिवहन सेवा में 02 पदों, जो कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में विज्ञापित नहीं है, पर मा0 न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सेवा प्राथमिकता के क्रम में निर्धारित प्रक्रिया तय कर दिये जाने के उपरान्त सेवा आवंटन किया जा सकेगा।
3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.06 एवं एफ.14 (1) एफडी/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मा0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
 4. उक्त अभ्यर्थी को जिला परिवहन अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला 9300-34800 ग्रेड पे-4800 (समय-समय पर यथा संशोधित वेतन भत्तों/शर्तों के अध्याधीन) दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षा-प्रशिक्षु (Probationer-trainee) के रूप में नियुक्त किया जाता है।
 5. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र सं. प.15 (1) कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
 6. अभ्यर्थी को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु दिनांक 11.09.2017 को अपनी उपस्थिति हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
 7. इन अभ्यर्थी को परिवीक्षा काल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
 8. इन अभ्यर्थी की जन्मतिथि वही होगी, जो इन्होंने लोक सेवा आयोग को अपने परीक्षा सम्बन्धी आवेदन-पत्रों में अंकित की है तथा जिसे आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के उपरान्त मान्य कर दिया गया है।
 9. इन अभ्यर्थी की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग की योग्यता सूची में अंकित वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित होगी।
 10. इन अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन/प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, विवाह व संतान की स्थिति आदि के राज्य सरकार के पूर्ण सन्तोषजनक सत्यापन के अधीन होगी तथा यदि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/चरित्रादि के संबंध में भविष्य में कोई सत्यापन सन्तोषजनक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
 11. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए (उनके नाम के आगे प्रोविजनल अंकित किया गया है) इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्याधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
 12. अभ्यर्थी को, अगर वह विवाहित है, तो उसे विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र इस विभाग को कार्यग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त विवाह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाया जावेगा।
 13. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "self declaration" प्रपत्र अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसी अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लायी जायेगी।

14. यह नियुक्ति राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के नियम 21 एवं राजस्थान सरकार द्वारा सेवा के सम्बन्ध में बनाये गये समस्त अधिनियम/नियम/उपनियम, अधिसूचनाओं में समय-समय पर संशोधित अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्याधीन रहेगी व इस सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अधीन होगी।
15. जिस अभ्यर्थी को उक्त सेवा में नियुक्ति दी जा रही है, यदि यह अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण की अवधि में अथवा अपने प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त दो वर्षों की सेवा अवधि में सेवा छोड़कर जाता है/त्याग पत्र देता है तो इस अवधि में प्राप्त वेतन तथा उसके प्रशिक्षण काल में प्राप्त की गई राशि की दुगुनी राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी। किन्तु इस अवधि में उसे भुगतान की गई यात्रा भत्ते व दैनिक भत्ते की राशि वसूल नहीं की जाएगी। प्रत्याशी को इस आशय का एक बन्ध-पत्र (बॉण्ड) निर्धारित प्रपत्र में सेवा पर उपस्थिति देने से पूर्व निष्पादित करना होगा।
16. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
17. उक्त अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
18. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक: एफ 1(39)परि/स्था/2000/43139 - 50
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक: 11/5/19

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- ✓ 10. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
11. सम्बन्धित अधिकारी श्री.....
12. गोपनीय शाखा / संस्थापन शाखा / भुगतान शाखा।
13. निजी पत्रावली।
14. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)